(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के. जैन**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/पन्ना/भू.रा/2017/4518 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-11-2017 पारित द्वारा नजूल तहसीलदार जिला पन्ना प्रकरण क्रमांक 03/बी-121/2016-17

---

1. शिवनारायण पुत्र श्री रामनारायण गोस्वामी
   निवासी इन्द्रपुरी कॉलोनी पन्ना
   हाल निवास मोहन निवास (गहरा), पन्ना जिला पन्ना म.प्र.
2. रामप्रताप पुत्र श्री देवदत्त नगायच,
   निवासी इन्द्रपुरी कॉलोनी पन्ना
   हाल निवास पन्ना नाका, कटनी म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

राकेश राय पुत्र श्री रामसिपाही राय
निवासी टिकुरिया मौहल्ला पन्ना,
हाल निवास पाली जिला उमरिया म.प्र. .....अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 03/07/2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नजूल तहसीलदार जिला पन्ना द्वारा पारित दिनांक 13-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नजूल तहसीलदार के समक्ष आवेदक के प्लाट नं. 107 पर से आवेदक द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/बी-121/2016-17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति पेश की गई की नजूल तहसीलदार को धारा 248 व धारा 250 की शक्तियां प्रदत्त नहीं है । अत: प्रकरण का विचारण तहसील न्यायालय में न किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 13-11-2017 को आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई । नजूल तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 13-11-2017 का ओपेरेटिंग पैरा निम्नानुसार है ।

" उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये गये । संलग्न दस्तावेजों व प्रस्तुत नियमों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को आबंटित प्लॉट नंबर 107 पर अनावेदक ने कब्जा कर लिया था । जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर जांच हेतु प्रकरण दर्ज किया गया है । शिकायत की जांच की अधिकारिता इस न्यायालय को है अत: आपत्ति खारिज की गई । आवेदक साक्ष्य पेश करे । पेशी दिनांक 24-11-2017"

तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीदलदार की दिनांक 13-11-2017 की टीप कोई आदेश नहीं है । तहसीलदार (नजूल) भी एक राजस्व अधिकारी है, एवं उनके द्वारा प्रकरण मद बी-121 में दर्ज किया गया है, जिसके अंतर्गत तहसीलदार को जांच करने का पूर्ण अधिकार है । अत: 13-11-2017 के आदेश पर किसी भी प्रकरण के हस्तक्षेप की आवश्कता प्रतीत नहीं होती है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नजूल तहसीलदार पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-11-2017 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

3/11/18

(आर.के. जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर